

GOVERNMENT OF INDIA
OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER
SEEPZ SPECIAL ECONOMIC ZONE
MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY
ANDHERI (EAST)
MUMBAI - 400 096.

F.NO. SEEPZ SEZ/LAB/505/2015 -16/Part II /04268 Dated: 21/02/2018

CIRCULAR NO. /LAB/16/2017-18

In accordance with the powers delegated to the Development Commissioner of SEZ by the Govt. of Maharashtra, under the Minimum Wages Act, 1948 the jurisdiction in respect of units in SEZs for implementation as well as for taking necessary action for violation, if any, are with this office. As on date, the minimum wages applicable to the un-skilled, semi-skilled and skilled workers/employees in the SEEPZ (Electronics) and Gems and Jewellery Sectors are as mentioned below:- (Special Allowance revised for the period of 01/01/2018 to 30/06/2018)

1. Gem & Jewellery Units (Residuary Employment):-

	Skilled	Semi-Skilled	Un-Skilled
Basic Wage	Rs. 5500	Rs. 5000	Rs. 4500
Special Allowance	Rs. 3833	Rs. 3833	Rs. 3833
Total	Rs. 9333	Rs. 8833	Rs. 8333
HRA (5%)	Rs. 466.65	Rs. 441.65	Rs. 416.65
Minimum Wages	Rs. 9799.65	Rs. 9274.65	Rs. 8749.65

2. Bombay Shops and Establishment:-

	Skilled	Semi-Skilled	Un-Skilled
Basic Wages	Rs. 5800	Rs. 5400	Rs. 5000
Special Allowance	Rs. 3564	Rs. 3564	Rs. 3564
Total	Rs. 9364	Rs. 8964	Rs. 8564
HRA (5%)	Rs. 468.2	Rs. 448.2	Rs. 428.2
Minimum Wages	Rs. 9832.2	Rs. 9412.2	Rs. 8992.2

3. SEEPZ (Electronics) :-

	Skilled	Semi-Skilled	Un-Skilled
Basic Wages	Rs. 6300	Rs. 5800	Rs. 5300
Special Allowance	Rs. 3823	Rs. 3823	Rs. 3823
Total	Rs. 10123	Rs. 9623	Rs. 9123
HRA (5%)	Rs. 506.15	Rs. 481.15	Rs. 456.15
Minimum Wages	Rs. 10629.15	Rs. 10104.15	Rs. 9579.15

The Special Allowance is revised twice in a year i.e. with effect from 1st January and 1st July by the appropriate authority in the Labour Department of the Govt. of Maharashtra.

भारत सरकार
विकास आयुक्त का कार्यालय
सीपज-विशेष आर्थिक क्षेत्र,
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय,
अंधेरी(पूर्व), मुंबई-400 096.

सं.सीपज-सेज/श्रम/505/2015-16/ 04268

दिनांक: 21/02/2018

परिपत्र सं. श्रम / 16 /2017-18

विकास आयुक्त, सेज को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अधीन महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुसार सेजों में स्थित यूनिटों के संबंध में उन पर लागू किए जाने तथा उनका उल्लंघन होने पर आवश्यक कार्रवाई करने का अधिकार इस कार्यालय को है। आज की तारीख में सीपज (इलेक्ट्रॉनिक्स) तथा जेम तथा ज्वैलरी सेक्टरों में कार्यरत अकुशल, अर्धकुशल तथा कुशल कामगारों / कर्मचारियों के लिए लागू न्यूनतम मजदूरी इस प्रकार है: (दिनांक 01/01/2018 से दिनांक 30/06/2018 तक की अवधि का संशोधित विशेष भत्ता)

4. जेम तथा ज्वैलरी यूनिट्स (अवशिष्ट उद्योग):-

	कुशल	अर्धकुशल	अकुशल
मूल मजदूरी	रु. 5500	रु. 5000	रु. 4500
विशेष भत्ता	रु. 3833	रु. 3833	रु. 3833
कुल	रु. 9333	रु. 8833	रु. 8333
मकान किराया भत्ता (5%)	रु. 466.65	रु. 441.65	रु. 416.65
न्यूनतम मजदूरी	रु. 9799.65	रु. 9274.65	रु. 8749.65

5. मुंबई दूकानें तथा प्रतिष्ठान:-

	कुशल	अर्धकुशल	अकुशल
मूल मजदूरी	रु. 5800	रु. 5400	रु. 5000
विशेष भत्ता	रु. 3564	रु. 3564	रु. 3564
कुल	रु. 9364	रु. 8964	रु. 8564
मकान किराया भत्ता (5%)	रु. 468.2	रु. 448.2	रु. 428.2
न्यूनतम मजदूरी	रु. 9832.2	रु. 9412.2	रु. 8992.2

6. सीपज (इलेक्ट्रॉनिक्स) :-

	कुशल	अर्धकुशल	अकुशल
मूल मजदूरी	रु. 6300	रु. 5800	रु. 5300
विशेष भत्ता	रु. 3823	रु. 3823	रु. 3823
कुल	रु. 10123	रु. 9623	रु. 9123
मकान किराया भत्ता (5%)	रु. 506.15	रु. 481.15	रु. 456.15
न्यूनतम मजदूरी	रु. 10629.15	रु. 10104.15	रु. 9579.15

श्रम विभाग, महाराष्ट्र सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वर्ष में दो बार - 1 जनवरी तथा 1 जुलाई से विशेष भत्ता संशोधित किया जाता है।

The units are directed to ensure that no employee is deprived of the minimum wages at any point of time. The Zone Administration will be regularly verifying the records and registers to ensure payment of minimum wages by employers, by obtaining photo copies of payment register for specified period.



(Shrikant Paliwal)
Asstt. Development Commissioner
SEEPZ-SEZ

Copy to. :-

- (1) All the SEEPZ units.
- (2) The president, SEEPZ Gems & Jewellery Manufacturers Association, BFC Bldg.
- (3) Chairman, SEEMA, SEEPZ-SEZ, Mumbai.
- (4) The Regional Director, EPCES for 100% EOU & SEZ,
- (5) IT - Section – for uploading on website.

यूनिटों को निदेश दिया जाता है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनका कोई कर्मचारी किसी भी समय न्यूनतम मजदूरी से वंचित न रहे। जोन प्रशासन यह सुनिश्चित करने के लिए कि नियोक्ताओं द्वारा न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाता रहे, निर्दिष्ट अवधि के भुगतान रजिस्ट्रों की फोटो कॉपियां मंगाकर रिकार्डों तथा रजिस्ट्रों की जांच नियमित रूप से करता रहेगा।

Dr. Anil Kumar

(श्रीकांत पारीवाल)

सहायक विकास आयुक्त

सीएन-सेज

प्रतिलिपि:-

- 1) सीएन अधिकार क्षेत्र के अधीन आने वाले सभी यूनिट
- 2) प्रोसिडेंट, सीएन जेम्स तथा ज्वैलरी मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन, बीएफसी बिल्डिंग
- 3) चेयरमैन, सीमा, सीएन - सेज, मुंबई
- 4) क्षेत्रीय निदेशक 100% ईओयू तथा सेज के ईपीसीईएस
- 5) आईटी अनुभाग - वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए